

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक:- प.1(ग)()का/एस.एम.ई./डी.एल.बी./17/13401

दिनांक:- 13.6.17

-: आदेश :-

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के सुगम व सुव्यवस्थित संचालन हेतु प्रशासनिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हुए अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय संवर्ग के निम्नांकित कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किये जाते हैं:-

क्र.स.	नाम कर्मचारी	पद.	कहाँ से	कहाँ को
1	श्री लक्ष्मणराम	कनिष्ठ लिपिक	जैसलमेर	बाडमेर
2	श्री संदीप कुमार शर्मा	कनिष्ठ लिपिक	खण्डेला	खेतडी
3	श्री बहादुर सिंह राणावत	कनिष्ठ लिपिक	आबूपर्वत	पाली
4	श्री जीतराम	फायरमैन	राजलदेसर	सूरतगढ
5	श्री ओमप्रकाश बाजिया	फायरमैन	नागौर	मकराना
6	श्री जयप्रकाश सैन	फायरमैन	सुमेरपुर	जयपुर
7	श्री हंसराज मीणा	फायरमैन	अजमेर	जयपुर
8	श्रीमती संतोष मीणा	फायरमैन	लालसोट	सवाई माधोपुर
9	श्री गिरिश मीणा	फायरमैन	सवाई माधोपुर	लालसोट
10	सुश्री सीमा	फायरमैन	मंडतासिटी	कुचामन सिटी
11	श्रीमती प्रमिला कुमारी	फायरमैन	चुरु	झुझनु
12	श्री सुखदेव मुण्ड	फायरमैन	लोसल	मकराना
13	श्री विक्रम सिंह यादव	फायरमैन	बहरोड	तिजारा
14	श्री रामचन्द्र यादव	फायरमैन	बहरोड	तिजारा
15	श्री जगदीप	फायरमैन	बहरोड	अलवर
16	श्री सांवरमल	फायरमैन	हनुमानगढ	श्रीमाधोपुर
17	श्री दिनेश चन्द मीणा	फायरमैन	धौलपुर	बांदीकुई


विभागीय आदेश क्रमांक प.1(ग)()का/एस.एम.ई./डी.एल.बी./16/13407-13426 दिनांक 17.05.2017 के द्वारा श्री मोहम्मद अली, फायरमैन का नगर पालिका, जोबनेर से नगर परिषद, करौली में किये गये स्थानान्तरण को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

नोट:-

1. स्थानान्तरित कर्मचारियों के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावें अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
2. स्थानान्तरित कर्मचारियों का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हे वेतन का भुगतान किया जावे।


क.प.उ.

3. यदि कोई कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/संवैदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावे।
4. यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।
5. कर्मचारी को पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं कराया गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जाये।


(पवन अरोडा)
निदेशक एवं संयुक्त
शासन सचिव

क्रमांक:- प.1(ग)()का/एस.एम.ई./डी.एल.बी./17/13902-13967 दिनांक:-13.6.17
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वा.शा.वि., राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
3. उप निदेशक (क्ष0) स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/उदयपुर
/जोधपुर/भरतपुर।
4. महापौर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम, जयपुर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर।
5. सभापति/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिशार्पी अधिकारी/नगर निगम/नगर परिषद/पालिका.....
.....।
6. श्री..... पद..... नगर पालिका.....।
7. सुरक्षित पत्रावली।


(अलका मीणा)
उप निदेशक (प्रशासन)